न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS
पत्रावली संख्या : 72/18 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री विरमा पिता भेरा भील निवासी चन्देसरा तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहन पिता परथा भील निवासी श्रृंगावला, चन्देसरा तह. मावली।

.....विपक्षी

उपस्थित–1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 05.03.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/प्रार्थी ने आप माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र धारा 188 रा.का.अ. का प्रस्तुत किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से वादी/प्रार्थी को पूर्ण रूप से सफलता मिलने की पुरी संभावना हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तह. मावली में आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है नकल जमाबन्दी साथ संलग्न हैं। आराजी नम्बर 2600, 2614, 2628, 2629 मी., 2630, 2663, 2668, 3661/2456, 3662/2456/1 किता 9 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज हैं।
3. उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात मुझ प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य है तथा उक्त वर्णित आराजीयात का उपयोग उपभोग मैं प्रार्थी करता चला आ रहा हूं तथा विपक्षी बिना किसी हक व अधिकार के मुझ प्रार्थी की आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिसका विपक्षी को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथा उक्त वर्णित आराजीयात के विपक्षी खातेदार भी नहीं है फिर भी विपक्षी बिना किसी खातेदारी अधिकार से जबरन मुझ प्रार्थी की आराजीयात पर कब्जा कर मुझ प्रार्थी की आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। जिसका उन्हे कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त हैं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी का कोई हक व अधिकार नहीं होने के बावजूद जबरन ताकत के बल पर नया निर्माण करवाने पर आमादा है जिसका विपक्षी को कोई हक व अधिकार नहीं हैं।
5. यह कि वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी एवं निर्माण कार्य नहीं करने की विपक्षी के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हैं।
6. यह कि दौराने वाद विपक्षी द्वारा प्रार्थी की आराजीयात में जबरन निर्माण कार्य कर दिया जाता है प्रार्थी विपक्षी के खर्चे से हटवाने की आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हैं।

7. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है, क्योंकि वाद में वर्णित जमीन मुझ प्रार्थी के कब्जे अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है तथा इसमें विपक्षी द्वारा जबरन निर्माण कर देने से प्रार्थी को होने वाली क्षति का आकंलन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकता है तथा वाद में वर्णित आराजीयात का मैं प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार हुं तथा सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।
8. यह कि दिनांक 05.06.2018 को विपक्षी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में जबरन प्रवेश होकर मुझ प्रार्थी की स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात में जबरन कब्जा करने की नियत से आये और मुझ प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की नियत से लडाई–झगडा करने पर आमादा हो रहे है इसलिए मुझ प्रार्थी को विवश होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा हैं। जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 05.06.2018 को उत्पनन हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
9. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षी के विरूद्व निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि वाद के निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे की जमीन पर विपक्षीगण कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करे ना ही किसी अपने एजेन्ट से करावे तथा न ही उक्त आराजीयात में खुर्द बुर्द तथा न ही उक्त आराजीयात के वर्तमान स्वरूप में बदलाव करें, न ही उक्त वर्णित आराजीयात में किसी भी तरह से नया निर्माण करे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात का शांति पूर्ण उपयोग–उपभोग करने देवे व मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे दौराने वाद विपक्षी उक्त वर्णित आराजीयात में निर्माण कार्य कर लेवे तो उसे विपक्षी के खर्चे से पुनः हटवाया जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
10. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।
11. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया साथ ही प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें जमाबन्दी राजस्थान सम्वत् 2071 से 74 ग्राम चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा के खाता सं. 663 जिसके खसरा नम्बर 2600, 2614, 2628, 2629 मी., 2630, 2663, 2668, 3661/2456, 3662/2456/1 किता 9 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा शंकर, विरमा पिता भेरा के नाम दर्ज रेकार्ड थी। बाद नामान्तरण सं. 1917 से विरासत से शंकरलाल पिता भेरा की बजाय गणेश, चेना, देवा, बेनकी पिता शंकरलाल गंगाबाई पत्नी स्व. शंकरलाल के नाम दर्ज हुई। अतः प्रार्थी का नाम उक्त आराजीयात दर्ज रेकार्ड हैं।
12. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी मोहन पिता परथा जाति भील प्रार्थी की खातेदारी कब्जाशुदा आराजी में जबरन घूस कर कब्जा करना चाहता हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953 की धारा 212 के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा की तीन शर्तों का अवलोकन किया।

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>* उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी अभिलिखित खातेदार हैं। विपक्षी का उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अनुसार ''कोई सम्पति जिसके बाद में ऐसा वाद या कार्यवाही उससे सम्बन्धित पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्थ किये जाने या हस्तान्तरित किये जाने का खतरा है तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती हैं। यदि किसी कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाने, हस्तान्तरित किये जाने का भय हो तथा न्याय को समाप्त करने की दृष्टि से उक्त कार्यवाही की जानी संभावित है तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है विरूद्व अप्रार्थी हैं।

2. *अपूरणीय क्षति*– प्रार्थी वर्तमान में अभिलिखित खातेदार है। अप्रार्थी का उक्त आराजीयात सम्बन्धित कहीं दस्तावेज में उल्लेख नहीं हैं। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी की जायेगी तो नुकसान प्रार्थी को होगा। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में हैं।
3. *सुविधा का संतुलन*– प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को जो इस आशय से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं।

13. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जिसमें प्रार्थी विरमा पिता भेरा जाति भील निवासी चन्देसरा की कब्जेसुदा आराजी खाता नम्बर 663 जिसके खसरा नम्बर 2600, 2614, 2628, 2629 मी., 2630, 2663, 2668, 3661/2456, 3662/2456/1 किता 9 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि में विपक्षी मोहन पिता परथा जाति भील निवासी श्रृंगावला चन्देसरा को इस आशय से पाबंद करना उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की उक्त वर्णित आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें ना ही अन्य से करावें।

–: आदेश :–

प्रार्थी विरमा पिता भेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण मोहन पिता परथा को इस आशय से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी की स्वामित्व व आधिपत्य की आराजीयात मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तह. मावली की खाता सं. 663 जिसके खसरा नम्बर 2600, 2614, 2628, 2629 मी., 2630, 2663, 2668, 3661/2456, 3662/2456/1 किता 9 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि में अप्रार्थी उसके कब्जेशुदा भूमि पर तावाद निस्तारण तक किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी ना स्वयं करें व न अन्य से करावें एवं प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहें।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.04.22 12:16:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: